बिहार सरकार

ग्रामीण विकास विभाग

पत्रांक 283716
ग्रा0वि0-7 (सा0वा0)-01/2015

पटना, दिनांक 07.09.2016

प्रेषक,

सी0पी0 खंडूजा,
निदेशक, सामाजिक वानिकी ।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी-सह-जिला कार्यक्रम समन्वयक,
सभी उप विकास आयुक्त-सह-अपर जिला कार्यक्रम समन्वयक,
बिहार ।

विषय:- **मनरेगा अंतर्गत सामाजिक वानिकी के तहत वित्तीय वर्ष- 2016-17 का लक्ष्य पुन: प्रेषण करने के संबंध में ।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि दिनांक- 02.09.2016 को आयोजित विडियों कॉन्फ्रेसिंग में कतिपय जिला के उप विकास आयुक्तों के द्वारा सामाजिक वानिकी के तहत वित्तीय वर्ष- 2016-17 में निर्धारित किये गये लक्ष्य के संबंध में अनिभिज्ञता जाहिर किया गया तथा लक्ष्य को पुन: प्रेषित करने का अनुरोध किया गया ।

इस क्रम में कहना है कि सड़क किनारे वृक्षारोपण का लक्ष्य लेबर बजट के लक्ष्य के साथ सभी जिलों को प्रेषित किया गया है । विभागीय पत्रांक- 271321 दिनांक- 10.05.2016 द्वारा सड़क के किनारे वृक्षारोपण के अलावा अन्य सामाजिक वानिकी की योजना यथा, नहर तट, नदी तट, बांध तट एवं अनुमान्य श्रेणी के परिवारों के निजी भूमि पर कराये जाने वाले वृक्षारोपण कार्य का लक्ष्य प्रेषित किया गया है, जिसके तहत प्रति पंचायत 5 ईकाई वृक्षारोपण का कार्य कराया जाना है । जिलावार सामाजिक वानिकी के तहत वित्तीय वर्ष- 2016-17 में निर्धारित किया गया लक्ष्य पत्र के साथ संलग्न कर पुन: प्रेषित किया जा रहा है ।

अनुरोध है कि शत-प्रतिशत लक्ष्य की प्राप्ति सुनिश्चित किया जाय ।

विश्वासभाजन
06.09.
(सी0पी0 खंडूजा)
निदेशक, सामाजिक वानिकी

A. Letter Sec-8 No- 22

(301)

बिहार सरकार

ग्रामीण विकास विभाग

पत्रांक 271321 ग्रा0वि0 - 11 07 (सा0वा0) - 01 / 2015

पटना, दिनांक 10-05-2016

प्रेषक,

अरविन्द कुमार चौधरी,
सचिव ।

सेवा में,

सभी जिलापदाधिकारी,
सभी उप विकास आयुक्त,
बिहार ।

विषय:- **वर्ष 2016-17 में मनरेगा अन्तर्गत सामाजिक वानिकी योजनाओं का लक्ष्य एवं क्रियान्वयन के संबंध में ।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा वर्ष 2016-17 के लिए 6 फोकस एरिया के लक्ष्य निर्धारित किये गए है । इसमें से सड़क किनारे वृक्षारोपण को भी फोकस एरिया में रखा गया है । जिलों से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर सड़क किनारे वृक्षारोपण का जिलावार लक्ष्य नरेगा सॉफ्ट पर अपलोड कर दिया गया है तथा इसका विवरण संलग्न किया जा रहा है (अनुलग्नक-1) । निर्धारित लक्ष्य की शत प्रतिशत प्राप्ति अनिवार्य है और लक्ष्य से अधिक प्राप्ति स्वागतयोग्य है ।

2. बिहार राज्य में सड़क किनारे वृक्षारोपण के अलावे नहरतट, नदीतट बॉध एवं अनुमान्य व्यक्तियों के निजी भूमि पर भी वृक्षारोपण किये जाते है । इस प्रकार के वृक्षारोपण के लिए प्रति पंचायत एक हजार पौधे अथवा पॉच इकाइयों का लक्ष्य रखा जाता है ।

3. निर्धारित सड़क किनारे वृक्षारोपण एवं अन्य वृक्षारोपण को प्रखंडवार एवं पंचायतवार बॉटते हुए कार्य योजना विभाग को 10.05.2016 तक उपलब्ध करायी जाय ।

4. सामाजिक वानिकी की सफलता हुए वृक्षारोपण कार्यो का क्रियान्वयन समय बद्ध तरीके से करना अतिआवश्यक है । इस संबंध में ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार के पत्रांक 11017/17/2008 NREGA(UN) (Part-II) दिनांक 31.07.2014 के अनुलग्नक - 2 एवं मास्टर सर्कूलर 2016-17 में वर्षाकालीन वृक्षारोपण हेतु दी गई समय सारणी का अनुपालन द्वढ़ता से करना अतिआवश्यक है । चूकि IPPE -II के दौरान वृक्षारोपण की

योजनाओं के चयन की प्रक्रिया पूर्ण की जा चुकी है इसलिए वृक्षारोपण संबंधित अन्य कार्यों का निम्न तालिका अनुसार कार्य सुनिश्चित किया जाए -

कार्य विवरण	पूर्ण करने की समय सीमा
• सर्वे एवं स्थल सफाई, कीटनाशक का क्रय	10.05.2016
• गड्ढा /स्तुप का निर्माण	20.05.2016
• आवश्यकता अनुसार Tree Guard मिट्टी का घड़ा, ट्राली, जौविक खाद आदि की व्यवस्था	31.05.2016
• गड्ढों को मृदा, फॉम यार्ड खाद और किटनाशक के मिश्रण से भरना	31.05.2016
• वनपाषकों / लाभुकों का प्रशिक्षण	
• आवश्यकता अनुसार पौधें की उपलब्धता हेतु पौधशाला चिन्हित करने का कार्य	
• पौधों की ढुलाई एवं पोधारोपण कार्य	वर्षा प्रारम्भ होने से वृक्षरोपण कार्य प्रारम्भ करते हुए सभी स्थलों पर 15.08.2016 तक पूर्ण वृक्षारोपण
• Tree Guard लगाना	
• पटवन, कोड़नी एवं निकौनी	
• मृत पौधों का बदलाव	16.05.2016 से 31.03.2017 तक
• कोड़नी, निकोनी, पटवन प्रत्येक माह	
• खाद, कीटनाशक का उपयोग	
• सुरक्षा कार्य	
• उत्तरजीविता गणना	

5. वर्ष 2016-17 में किये जाने वाले वृक्षारोपण में पूर्व में निर्गत SoP के संलग्न मॉडल प्राक्कलन एवं विभागीय पत्र संख्या 239166 दिनांक 22.03.2015 को निम्न संशोधनों के साथ लागू किया जाए -

(I) सभी वृक्षारोपण कार्य वर्षाकाल में जून से लेकर 15 अगस्त तक पूर्ण कर लिए जाए ।

(II) पौधों की ऊँचाई कम-से-कम 3 फीट हो यदि उपलब्ध हो तो 4/5 फीट का पौधा प्राप्त करने का प्रयास किया जाए ।

(III) Road Side वृक्षारोपण रोड के दोनों तरफ किया जायेगा और कम-से-कम दो यूनिट (400 पोधें) कलस्टर के रूप में लिए जायें और पौधों की आपसी दूरी 3 मीटर X 3 मीटर रखी जायेंगी ।

(IV) नहर तट और नदीतट बॉध पर भी कम-से-कम 2 यूनिट का कलस्टर लिया जाय एवं पाधों की दूरी 3 मीटर X 3 मीटर रहेगी ।

(V) अनुमान्य व्यक्तियों के निजी भूमि पर खण्ड वृक्षारोपण की स्थिति में 4 मीटर X 4 मीटर की दूरी और खेत की मेढ़ पर वृक्षारोपण करने पर 3 मीटर X 3 मीटर की दूरी रखी जायेगी ।

(VI) **बॉस गेबियन -** विभागीय पत्रांक 239166 दिनांक 22.03.2015 में संशोधन करते हुए निदेश दिया जाता है कि केवल सरकारी भूमि / सामुदायिक भूमि पर ही बॉस गेबियन अनुमान्य होगा और निजी भूमि पर बॉस गेबियन अनुमान्य नहीं होगा । बॉस गेबियन पर अधिकतम रूपये 350.00 रूपये की दर से व्यय अनुमान्य होगा और इसका साइज न्यून्तम 2 मीटर X 2 मीटर X 4 मीटर (above ground) होना आवश्यक है ।

(VII) **घड़े का प्रावधान -** निजी भूमि पर अनुमान्य नही होगा । सरकारी भूमि / सामुदायिक भूमि पर वृक्षारोपण की स्थिति में आवश्यकतानुसार सम्मलित किया जा सकता है ।

(VIII) **ट्रॉली / चापाकल -** सरकारी / निजी भूमि पर वृक्षारोपण हेतु चापाकल अथवा ट्रॉली और पानी टंकी में से किसी एक साधन का विकल्प रहेगा । सरकारी अथवा सामुदायिक भूमि पर 2 इकाईयों पर एक चापाकल अथवा एक ट्रॉली और पानी की टंकी का प्रावधान रहेगा । निजी भूमि के मामले में यदि कलस्टर में (दो सौ मीटर की दूरी के अन्दर) दो इकाईयों उपलब्ध नहीं हो तो वैसी परस्थिति में एक इकाई पर भी चापाकल अथवा ट्रॉली और पानी टंकी का प्रावधान किया जा सकता है । इनके लिए दर पूर्ववत रहेगी ।

6. सामाजिक वानिकी कार्यान्वयन के संबंध में पूर्व में विभागीय पत्रांक 215360 दिनांक 07.01.2015, 222119 दिनांक 25.02.2015, 229003 दिनांक 20.04.2015, 239166 दिनांक 22.07.2015, 236474 दिनांक 02.07.2015 द्वारा निर्गत दिशानिर्देशों का अक्षरश: पालन सुनिश्चित किया जाए ।

7. वर्ष 2016-17 में वृक्षारोपण कार्यो की तैयारी एवं कार्यो की प्रगति का अनुश्रवण के लिए प्रपत्र - A / 2016-17 संलग्न किया जा रहा है । अपने स्तर से मासिक बैठक में प्रगति की समीक्षा उपरान्त प्रखण्डवार सूचनाएं प्रत्येक माह की 08 तारीख तक उपलब्ध कराई जाए । समीक्षा में जिला से संबंधित फैसलिटेटर को भी बुलवाया जाए ।

अत: उपरोक्त अनुसार सामाजिक वानिकी की प्रखण्डवार और पंचायतवार कार्ययोजना वर्ष 2016-17 दिनांक 10.05.2016 तक उपलब्ध करा दी जाए एवं वृक्षारोपण संबंधित कार्यो का तय समय सीमा के अनुसार सम्पादन कराना सुनिश्चित किया जाए । मासिक प्रगति प्रतिवेदन प्रत्येक माह को 08 तारीख को विभाग को भेजना सुनिश्चित किया जाए ।

कृपया इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाय ।

अनुलग्नक :- यथोक्त ।

विश्वासभाजन

(हस्ताक्षर) 5/5/2016

(अरविन्द कुमार चौधरी)
सचिव

ROADSIDE PLANTATION			
FINANICIAL YEAR 2016-17			
Sr.No.	District	Demand Sent by District (In Units)	Target Set by the department (In Units)
1	ARARIA	2200	1000
2	ARWAL	370	185
3	AURANAGABAD	493	247
4	BANKA	605	303
5	BEGUSARAI		0
6	BHAGALPUR	961	481
7	BHOJPUR	30	15
8	BUXAR	260	130
9	DARBHANGA	1620	810
10	GAYA	2861	1431
11	GOPALGANJ	543	272
12	JAMUI	324	162
13	JEHANABAD	375	188
14	KAIMUR (BHABUA)		0
15	KATIHAR	1188	594
16	KHAGARIA	237	119
17	KISHANGANJ	277	139
18	LAKHISARAI	16	8
19	MADHEPURA	170	85
20	MADHUBANI	2033	1017
21	MUNGER	848	424
22	MUZAFFARPUR		200
23	NALANDA	403	202
24	NAWADA	357	179
25	PASHCHIM CHAMPARAN	315	158
26	PATNA	2372	1057
27	PURBI CHAMPARAN	2025	1013
28	PURNIA	1018	509
29	ROHTAS	1139	570
30	SAHARSA	3354	1477
31	SAMASTIPUR	5624	2212
32	SARAN	5994	2390
33	Sheikhpura	340	170
34	SHEOHAR	338	169
35	SITAMARHI	1681	841
36	SIWAN	1741	871
37	SUPAUL	343	172
38	VAISHALI	399	200
	Total	**42854**	**20000**

DISTRICT -

Progress of Preplantation and Plantation activities for 2016-17 afforestation

Form-A / 16-17

Reporting Month ....

Sl	Name of Block	No of Units Sanctioned			No of "Van-poshaks identified"	Progress of Preplanting activities						Plantation activities	
		Roadside Plantation	Nahar Tat/ Nadi tat Bandh	Individual Land		Survey & Site clearance	Arrangements for FYM, insecticide, mud pot, water trolley, etc made	Pits dugged	Mounds made	Plants available in Forest Dept Nurseries	Hand-pumps provided	Plants Planted	Tree guards fixed
						No of units		No	No	No	No	No	No
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

DDC, ---------------------- District